दिनांक-03फरवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

सार्वजनिक शौचालय के पास सड़क बाधा करने वालो पर उड़नदस्ता ने लगाया 20 हजार का जुर्माना

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वार्ड 01 परियापारा, सूर्यामाल के सामने, जुनवानी रोड, वार्ड 17 अजुर्ननगर सहित निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक , कैरी बैग, अनुज्ञप्ति लाइसेंस तथा सड़क बाधा कर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 25,100 रूपए अर्थदण्ड की वसूली की! उड़नदस्ता की टीम ने फल ठेला वालों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर जप्त करते हुए दोबारा ऐसा न करने समझाइश दी। नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 01 परियापारा, सूर्यामाल के सामने, जुनवानी रोड, वार्ड 17 अजुर्ननगर अंतर्गत किराना दुकान, बाजार, होटल, पान ठेला व नास्ता सेंटर में घरेलू गैस उपयोग करने , सड़क बाधा कर सामान बढ़ाकर व्यवसाय करने वाले तथा बाजार में गंदगी फैलाने वालों का निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। जोन 02 के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरि सुबह सफाई कार्य के निरीक्षण पर वार्ड 17 अजुर्ननगर पहुंचे जहां सार्वजनिक शौचालय के सामने खाली टीन डब्बा का स्टाॅक पाया तथा बड़ी मात्रा में टीन डब्बों को शौचालय के समीप सड़क पर वाहनों से उतारा जा रहा था जो कि सड़क बाधा का कारण बन रहा था,

जनसम्पर्क अधिकारी